भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2000

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

पंजाब में भूजल का दोहन

2000. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब में भू-जल निकासी की दर देश में सबसे अधिक है और इसके 75 प्रतिशत से अधिक ब्लॉकों को अतिदोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भू-जल का दोहन 156 प्रतिशत तक पहुंच गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा पंजाब में आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम जैसे विषैले पदार्थों के साथ भू-जल के व्यापक प्रदूषण जैसा कि कई जिलों में बताया गया है, को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने पंजाब में कृषि उत्पादकता और जन स्वास्थ्य पर गिरते भू-जल स्तर और बढ़ती लवणता के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन या आकलन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) नलकूपों पर अत्यधिक निर्भरता और नहर सिंचित क्षेत्र में कमी को देखते हुए पंजाब में सतत सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य सरकारों द्वारा प्रति वर्ष संयुक्त रूप से देश के सक्रिय भूजल संसाधनों का आकलन किया जाता है। वर्ष 2025 के आकलन के अनुसार, पंजाब राज्य के लिए कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 18.60 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) है और वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन का आकलन 16.80 बीसीएम किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025 में पंजाब में कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 26.27 बीसीएम आंका गया है। इसके आधार पर, पंजाब राज्य के लिए भूजल निष्कर्षण का स्तर (एसओई) 156.36% पाया गया है । यह वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन की तुलना में सभी उपयोगों (सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू उपयोगों) के लिए होने वाले कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण का एक माप है।

इसके अतिरिक्त, पंजाब के 153 ब्लॉकों में से 111 (72.55%) ब्लॉकों को 'अति-दोहित' श्रेणी में रखा गया है, जहां कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण की मात्रा निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधनों से अधिक हो गया है। इसके अतिरिक्त, 10 ब्लॉक गंभीर, 15 अर्ध-गंभीर और 17 सुरक्षित श्रेणी में हैं।

तथापि, भूजल एक पुनर्भरण योग्य संसाधन है जिसका वर्षा और अन्य स्रोतों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष पुनर्भरण होता है। इसके अतिरिक्त, निष्कर्षण के विवेकपूर्ण विनियमन, कृत्रिम पुनर्भरण और बड़े पैमाने पर संरक्षण उपायों के माध्यम से इसकी स्थायित्वता को बेहतर बनाया जा सकता है।

(ख): सीजीडब्ल्यूबी द्वारा अपने भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम और अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार किए गए अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों के तहत, पंजाब राज्य सहित देश भर में क्षेत्रीय स्तर पर भूजल गुणवत्ता संबंधी आँकड़े तैयार किए जाते है। वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार, पंजाब के कुछ छिट-पुट क्षेत्रों के भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम की उपस्थिति पेय उद्देश्यों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है।

जल राज्य का विषय है और भूजल संदूषण को कम करने के लिए पहल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा पंजाब सहित देश भर में इन समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:-

i. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा तैयार किए गए भूजल गुणवत्ता आँकड़े, जिसमें भारी धातुओं के संदूषण संबंधी आँकड़े भी शामिल है, हितधारकों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए, नियमित रूप से वार्षिक रिपोर्ट, अर्ध-वार्षिक बुलेटिन और पाक्षिक अलर्ट के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं।
ii. मॉनिटरिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपनाई गई है। यह प्रक्रिया भूजल गुणवत्ता का विस्तृत आकलन सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में कम समय अंतराल पर और सघन नमूने संग्रहण का प्रावधान करती है।
iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में गहरे आर्सेनिक-मुक्त जलभृतों से जल निकासी के लिए एक नवीन सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी भी विकसित की गई है। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा अब तक 525 आर्सेनिक-सुरक्षित अन्वेषण कुओं का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया है और इसी तरह के निर्माण कार्यों के लिए राज्य के विभागों को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

iv. राज्यों की साझेदारी के साथ मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है यह योजना देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता का और नियमित व दीर्घकालिक आधार पर संदूषण मुक्त पीने योग्य नल का जल उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जेजेएम के तहत जल गुणवत्ता सुरक्षा उपाय किए गए हैं, जिनमें परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करना, फील्ड टेस्टिंग किट का वितरण और प्रभावित बस्तियों में सामुदायिक जल शोधक संयंत्र स्थापित करना आदि शामिल हैं।

v. दूषित जलभृतों के कृत्रिम पुनर्भरण के माध्यम से भी भूजल की गुणवत्ता में कुछ हद तक सुधार किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रदूषकों की तीव्रता को कम कर देता है जिससे उनके हानिकारक प्रभाव कम हो जाते हैं। तदनुसार, जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जैसे वार्षिक जल शक्ति अभियान, जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि।

(ग): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा अपने अधिदेश के अनुसार, पंजाब सहित पूरे देश में नियमित रूप से भूजल स्तर और भूजल की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्यूम) के चरण 1.0 के तहत, देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के संपूर्ण चिन्हित मानचित्रण योग्य क्षेत्र का मानचित्रण किया गया है, जिसमें पंजाब का लगभग 50,368 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। इसके तहत, उपयुक्त जमीनी स्तर के कार्यकलापों के लिए जिले-वार भूजल प्रबंधन योजनाएँ तैयार की गई हैं और उन्हें संबंधित राज्य और जिला प्राधिकारियों के साथ साझा किया गया है। नैक्यूम की अध्ययन रिपोर्टों में, भूजल की कमी और प्रभावित क्षेत्रों में लवणीयता जैसी गुणवत्ता संबंधी समस्याओं पर ध्यान दिया गया है। इसके समाधान के लिए आपूर्ति और मांग पक्ष के उपयुक्त उपायों की सिफारिश की गई है, जैसे कि वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई के तहत सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, फसल विविधीकरण आदि। इसी तरह, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए भूजल संदूषण की समस्याओं को कम करने हेतु कई उपचारात्मक उपायों का भी सुझाव दिया गया है, जैसे पेय जल के उपयोग के लिए सुरक्षित जलभृतों की पहचान और उनका उपयोग करना, स्थानीय जल शोधन की विभिन्न तकनीकों का उपयोग आदि।

(घ): सरकार ने पंजाब सहित देश भर में सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भरता को कम करने, सतही जल के साथ इसके संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने और सतत् सिंचाई प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका सार निम्नलिखित है:

i. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी व्यापक योजना के विभिन्न घटकों, जैसे मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर), सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) आदि के तहत, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पंजाब सहित अन्य राज्यों को पारंपरिक जल निकायों के पुनरुद्धार/बहाली और टैंक, चेक डैम व लिफ्ट सिंचाई जैसी छोटी सतही जल परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों लाभान्वित होते है।

ii. पंजाब सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, नहर सिंचाई प्रणाली के विस्तार और आधुनिकीकरण के माध्यम से स्थायी सिंचाई प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं। पिछले चार वित्तीय वर्षों (2022-26) के दौरान, 7,200 करोड़ रुपये से अधिक के सिंचाई अवसंरचना विकास कार्य किए गए हैं, जिनमें नहरों का पुनरुद्धार और पक्कीकरण, जलमार्गों का पुनर्निर्माण और निर्माण, कंडी क्षेत्रों में भूमिगत पाइपलाइन प्रणालियों को मजबूत करना और प्रमुख नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण शामिल है। इन कार्यों से लगभग 2.75 लाख एकड़ क्षेत्र में नहर सिंचाई बहाल हुई है और नहर के पानी को कई अंतिम छोर वाले और पूर्व में कवर न किए गए क्षेत्रों तक पहुचने में सफलता प्राप्त हुई है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा सतही जल के अधिक उपयोग और कुशल सिंचाई प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा नहरों के विस्तार, कंडी नहर प्रणाली की बहाली, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने और नहर जल नीतियों में संशोधन जैसे उपाय किए गए हैं। नहर सिंचाई की उपलब्धता में सुधार के लिए प्रमुख नहर प्रणालियों में जल भत्ते को भी बढ़ाया गया है।

iii. राज्यों को किसानों के लिए अपनी मुफ्त/सब्सिडी वाली बिजली नीति की समीक्षा करने, उपयुक्त जल मूल्य निर्धारण नीति लाने और भूजल पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए फसल चक्र/विविधीकरण/अन्य पहलों की दिशा में आगे काम करने के जल शक्ति मंत्रालय के परामर्श के आधार पर, पंजाब का कृषि विभाग किसानों को प्रोत्साहन देकर धान के तहत आने वाले कृषि क्षेत्र में जल की कम खपत वाली अन्य फसलों की खेती अपनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है।

iv. भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एवं एफडब्ल्यू) द्वारा वर्ष 2015-16 से पंजाब सहित पूरे देश में पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए सूक्ष्म सिंचाई और खेत पर बेहतर जल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से खेत के स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है।
